UPBS120000211998

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 777/1998

श्रीमती अनारी देवी बनाम घनश्याम आदि

11.04.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 88 क[2] पर सुना–

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 88 क[2] प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि दौरान वाद प्रतिवादी सं० 2 ने विवादित आराजी सं० 3 स रकबा 0.130 हे० के 1/4 भाग का बैनामा श्रीमती कबूतरा देवी पत्नी रामसरन के पक्ष में दिनांक 18.01.2022 को कर दिया है, जो एक अवैध एवं शून्य दस्तावेज है। ऐसी स्थिति में क्रेतिका कबूतरा देवी को पक्षकार मुकदमा बनाया जाना तथा तत्सम्बन्धी संशोधन वादपत्र में किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादी द्वारा आपत्ति कागज सं० 94 ग 2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादी के साक्ष्य में चल रहा है। मुकदमे की कार्यवाही को लिंगर करने के आशय से प्रार्थनापत्र दिया गया है। दस्तावेज बैनामा दिनांकित 18.01.2022 का कोई सम्बन्ध प्रस्तुत वाद के तथ्यों से नहीं है। इस सम्बन्ध में पृथक दावा दाखिल करना पड़ेगा। पक्षकार बनाने की व्यवस्था आदेश 1 नियम 10 जा०दी० से सम्बन्धित है, उसे आदेश 6 नियम 17 जा०दी० की व्यवस्था से पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 88 क[2] क्रेतिका श्रीमती कबूतरा देवी पत्नी रामसरन को पक्षकार मुकदमा बनाये जाने एवं दस्तावेज बैनामा के निरस्तीकरण का उपचार याचित करने तथा तत्सम्बन्धी संशोधन वादपत्र में किए जाने के आशय से दिया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में सूची 86 ग 1 द्वारा नकल दस्तावेज बैनामा कागज सं० 87 ग 1 दाखिल किया गया है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि विक्रेता राधेश्याम (प्रतिवादी सं० 2) ने श्रीमती कबूतरा देवी के पक्ष में आराजी सं० 3 स रकबा 0.130 हे० का 1/4 भाग अर्थात 0.0325 हे० का बैनामा निष्पादित किया है। वादी ने प्रस्तुत वाद बैनामा दिनांकित 29.12.1995 की मंसूखी हेतु दाखिल किया था, जिसके लम्बन के दौरान प्रतिवादी सं० 2 द्वारा विवादित सम्पत्ति का बैनामा कबूतरा देवी के पक्ष में किया गया है, जिस कारण कबूतरा देवी प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतीत होती हैं। अतः प्रतिवादी की आपत्ति के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र 88 क[2] न्यायहित में हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 88 क[2] मु० 100/– रूपए हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन एवं पैरवी अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त वादोत्तर/अतिरिक्त वादबिन्दु दिनांक 25.05.2023 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।

Digitally signed by DIKSHA AGARWAL
Date: 2023.04.11 16:56:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court